न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1195 सन 2024

अनवान :–

1. गोरूराम पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10/03/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की गोरूराम के पिता का वास्तविक नाम रूधाराम था तथा रूधाराम व तेजमाल दोनो भाई थे रूधाराम के फोत होने पर रूधाराम की पत्नि ने तेजमाल से करेवा कर लिया सभी एक ही परिवार के सदस्य है गोरूराम की माता ने तेजमाल की चुडी पहनने के कारण गोरूराम की वल्दियत आवटन पटटे में तेजमाल दर्ज हो गई वाद में वादी द्वारा वल्दियत सही दर्ज करवा ली थी।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा भूमि जिसको गोरूराम पुत्र तेजपाल जाति जाट साकिन कानसर को दिनांक 29.09.1968 को आवंटित की गई थी जो गोरूराम के आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा भूमि को पैमाईश हाल के दौरान साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा को हाल खसरा न0 1172 की 5.8420हैक खसरा न0 1174 की 0.8850हैक , खासरा न0 1314 की 1.6180हैक खसरा न0 1315 की 1. 3530हैक कुल 9.6980हैक में पैमुद की गई थी।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा हाल खसरा न0 1172 की 5.8420हैक खसरा न0 1174 की 0.8850हैक , खासरा न0 1314 की 1.6180हैक खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक में पैमुद हुई है जो आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटन होने के तीन वर्ष के पश्चात आवंटी को स्वत ही राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु वादी को आज भी राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो रहा है जिससे राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐं जो खातेदार काश्तकार को प्राप्त होती है पाने में असमर्थ है।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा भूमि दिनांक 26.09.. 1968 को आवंटन की गई थी वादी/आवटी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी गोरूराम पुत्र रूधाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु [illegible] गोरूराम पुत्र रूधाराम को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के [illegible] कारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खाते[illegible] दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के [illegible] संख्या 787/768 के खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850[illegible] खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 787/768 के खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि जो वादी को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी वादी के कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गोरूराम के पिता का वास्तविक नाम रूधाराम था तथा रूधाराम व तेजमाल दोनो भाई थे रूधाराम के फोत होने पर रूधाराम की पत्नि ने तेजमाल से करेवा कर लिया सभी एक ही परिवार के सदस्य है गोरूराम की माता ने तेजमाल की चुडी पहनने के कारण गोरूराम की वल्दियत आवटन पटटे में तेजमाल दर्ज हो गई वाद में वादी द्वारा वल्दियत सही दर्ज करवा ली थी।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा भूमि जिसको गोरूराम पुत्र तेजपाल जाति जाट साकिन कानसर को दिनांक 29.09.1968 को आवंटित की गई थी जो गोरूराम के आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा भूमि को पैमाईश हाल के दौरान साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा को हाल खसरा न0 1172 की 5.8420हैक खसरा न0 1174 की 0.8850हैक , खासरा न0 1314 की 1.6180हैक खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक में पैमुद की गई थी।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा हाल खसरा न0 1172 की 5.8420हैक खसरा न0 1174 की 0.8850हैक , खासरा न0 1314 की 1.6180हैक खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक में पैमुद हुई है जो आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटन होने के तीन वर्ष के पश्चात आवंटी को स्वत ही राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु वादी को आज भी राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो रहा है जिससे राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐं जो खातेदार काश्तकार को प्राप्त होती है पाने में असमर्थ है।

रोही मोजा कानसर के [illegible] 228 की 40 बीधा भूमि दिनांक 26.09..1968 को आवंटन की गई थी वादी/आ[illegible] के [illegible] काश्त में चली आ रही है वादी को वाद भूमि आवंटन होने के [illegible]राम पुत्र रूधाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड मे [illegible] भी गोरूराम पुत्र रूधाराम को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 787/768

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की कुल 40 बीधा भूमि गोरूराम पुत्र तेजाराम को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

वादी का कथन है कि रूधाराम व तेजाराम दोनो सगे भाई थे रूधाराम के फोत होने पर रूधाराम की पत्नि ने तेजाराम से करेवा कर लिया अर्थात गोरूराम की पत्नि ने तेजाराम के साथ करेवा करने के गोरूराम की वल्दीयत आवंटन आदेश में तेजपाल दर्ज हुई थी बाद में संशोधन करवाकर लिया गया जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो/गिरदावारीयो से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि गोरूराम वल्द तेजाराम उर्फ रूधाराम के वाद भूमि आवटन होने के समय से ही कब्जा काश्त मे चली आ रहीं है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है भूमि आवंटन होने एव कब्जा काश्त में आ दिनांक होने की पुष्टि मौका रिपोर्ट से भी होती है।

अर्थात वाद भूमि गोरूराम वल्द तेजाराम उर्फ रूधाराम को दिनांक 26.09.1968 को वाद भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि आवंटी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 जो बहुत बडा खसरा था के हाल खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता गोरूराम वल्द तेजाराम उर्फ रूधाराम को रोही मौजा कानसर साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा एवं हाल खसरा न0 खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि आवंटन नही की गई थी अर्थात उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार वादी पाने के अधिकारी नही है

वादी गोरूराम वल्द तेजराम उर्फ रूधाराम को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक में परिवर्तन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि वादी गोरूराम को दिनांक 26.09.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसे आवंटन दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी आवंटन दिनांक 26.09.1968 के तीन वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी गोरूराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति [illegible] राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नि[illegible] भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनि[illegible] गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल [illegible]मत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी गोरूराम पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी कानसर (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 हाल खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि आवंटन दिनांक 26.09.1968 को आवंअन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो से पूर्णत्या साबित है आवंटि गोरूराम के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्ता विवेचन से पूर्णत्या साबित है कि वादी /आवंटी गोरूराम वल्द रूधाराम को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 228 की 40 बीधा भूमि दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जिसे भू0प्रबन्ध विभाग ने साबिका खसरा न0 228 के हाल खसरा न0 खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक में परिर्वतन पैमुद की गई है जो वादी/आवंटी के आदिनांक तक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ऐसी भूमिया जो पूर्व में बारानी क्षेत्र मे थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु समय समय पर परिपत्र /अधिसुचनाऐं जारी की गई है वादी/आवंटी उक्त अधिसुचनाओ/परिपत्र के परिपेक्ष में खातेदारी अधिकारी पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 787/768 के खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. गोरूराम पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1195 सन 2024 निर्णय दिनांक – 10/03/2025

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 787/768 के खसरा न0 1172 की 5.8420हैक , खसरा न0 1174 की 0.8850हैक खसरा न0 1314 की 1.6180हैक , खसरा न0 1315 की 1.3530हैक कुल 9.6980हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:14 IST
Reason: SelfAttested